न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम–जाकिर हुसैन, आई.ए.एस.

अपील संख्याः–01/2019 भरण पोषण अधिनियम

गौरांदेवी पत्नी हुकमाराम उम्र 70 वर्ष जाति भाट निवासी 23 के.एस. पी., अराईयांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. हुकमाराम पुत्र रामलाल जाति भाट निवासी चक 23 के.एस.पी., किशनपुरा दिखनादा हाल "अपना घर वृद्धाश्रम", नजदीक एस.बी. आई. हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––रेस्पोडेंट

2. चेतनराम
3. पवन कुमार

पिसरान हुकमाराम जाति भाट निवासी 23 के. एस.पी., अराईयांवाली तह. हनुमानगढ़ हाल सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

–औपचारिक रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.10.2018 न्याय/प्रकरण संख्या–7/2016 न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ बअनवानी हुकमाराम बनाम चेतनराम आदि, जिसके जरिये रेस्पोडेंट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम स्वीकार किया गया–को निरस्त किये जाने बाबत।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

निर्णय दिनांकः–30.05.2019

अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार है कि हुकमाराम द्वारा दिनांक 16.11.2016 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 11.10.2018 को रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के विरूद्ध स्वीकार तहसील हनुमानगढ़ की चक 23 के.एस.पी खाता संख्या 80/67 की 2.656 हैक्टेयर कृषि भूमि से रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 को बेदखल कर कब्जा रेस्पोडेंट संख्या 1 को सुपुर्द किये जाने के विधि विरूद्ध आदेश दिये गये।

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

प्रार्थी हुकमाराम ने दिनांक 16.11.2016 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र आश्य का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी हुकमाराम के नाम से सांझा खाता में 23 के.एस.पी. के खाता संख्या 80/67 में 2.656 हैक. कृषि भूमि दर्ज कागजात पटवार है जिस पर अप्रार्थीगण ने जबरन कब्जा कर प्रार्थी को मारपीट कर घर से निकाल दिया है। प्रार्थी कमजोर, असहाय व बीमार है और बिना सहारे के चल नहीं सकता। अप्रार्थीगण उसका भरण पोषण नहीं कर रहे हैं और दिनांक 25.03.2013 से प्रार्थी हनुमानगढ़ टाउन स्थित वृद्धाश्रम में रह रहा है। प्रार्थी को भरण पोषण हेतु 40000/–रूपये प्रतिमाह अप्रार्थीगण से दिलवायें जावें। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 को तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थी हुकमाराम ने दिनांक 31.01.1990 को सतीश कुमार पुत्र मालचन्द जाति छिंपा साकिन हनुमानगढ़ टाउन को उक्त विवादित कृषि भूमि जरिये इकरारनामा बैय कर दी थी जिसका मुकदमा जिला न्यायाधीश हनुमानगढ़ के समक्ष चला था, उसमें रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 ने वादी सतीश कुमार से राजीनामा कर उसको भूमि के रूपये देकर भूमि उसके कब्जा से मुक्त करवायी थी और 1 बीघा भूमि का बेचान चिमनलाल पुत्र खेमाराम भाट निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन को कर दिया है। मानसिक रूप से बीमार होने के कारण हुकमाराम का ईलाज चल रहा है। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वह मानसिक परेशानी की वजह से घर छोड़कर बाहर जाता है। अप्रार्थीगण ने हुकमाराम को वृद्धाश्रम से अपने घर लाने के लिए भरसक प्रयास किये थे लेकिन वह घर आने को तैयार नहीं था। दोनों पक्षों को सुना जाकर दिनांक 11.10.18 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हुकमाराम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ़ को आदेश दिया कि जमाबन्दी चक 23 केएसपी खाता संख्या 80/67 में प्रार्थी हुकमाराम के नाम से दर्ज 2.656 हैक्टेयर कृषि भूमि से अतिक्रमी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को बेदखल कर कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द किया जावे। उक्त आदेश कतई विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण अपीलांट निम्न आधारों पर अपील प्रस्तुत की है :–

1. रेस्पोडेंट संख्या 1 हुकमाराम करीब 20 वर्षो से मानसिक रूप से बीमार है। उसकी मानसिक बीमारी का ईलाज लगातार चल रहा है और मानसिक हालात की वजह से कितनी ही बार घर छोड़कर अन्यत्र चला जाता है। अपीलांट ने भी रेस्पोडेंट संख्या 1 को अलग–अलग जगह से अपने घर लाने का प्रयास किया था लेकिन रेस्पोडेंट संख्या 1 अपनी मानसिक हालात की वजह से एक जगह नहीं रह सकता।
2. रेस्पोडेंट संख्या 1 की मानसिक हालात का ज्ञान ग्रामीण व्यक्तियों, आसपास के लोगों व रिश्तेदारों एवं अन्य सामाजिक संस्थओं को है। वे सब उसकी मानसिक हालात का फायदा उठाकर उसके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का अंतरण अपने नाम करवाना चाहते है क्योंकि रेस्पोडेंट संख्या 1 मानसिक हालात की वजह से अपना व परिवार का भला बुरा सोचने व समझने में असमर्थ है।
3. अपीलांट खुद एक वृद्धा 70 वर्षीय औरत है। रेस्पोडेंट संख्या 1 अपीलांट को करीब 15 वर्ष पहले छोड़कर चला गया था। अपीलांट ने अपने पुत्रों व पौत्रों प्रेमकुमार, रोशनलाल, महेश कुमार, हरिश कुमार व पौत्रीयों और पुत्रवधुओं की सहायता से विवादित कृषि भूमि पर मेहनत मजदूरी की व अपना व परिवार का पालन पोषण किया। इस विवादित कृषि भूमि के अलावा अपीलांट के पास भरण पोषण हेतु आय का अन्य कोई साधन नहीं है। कृषि भूमि की आय से ही अपीलांट ने रेस्पोडेंट संख्या 1 का निजी चिकित्सालय जैन हॉस्पीटल हनुमानगढ़ टाउन में व गंगानगर में ईलाज करवाया और अभी भी रेस्पोडेंट संख्या 1 का

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

ईलाज चल रहा है लेकिन रेस्पोडेंट संख्या 1 मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के कारण अन्य लोगों के बहकावे में आकर भूमि को अंतरित करने पर आमदा है। अपीलांट अपने पूरे परिवार के साथ विवादित कृषि भूमि में बनी ढाणी में ही निवास कर रही है। अन्य कोई रिहायश हेतु ठिकाना भी नहीं है।

4. अपीलांट स्वयं वृद्धा औरत है और अक्सर बीमार रहती है। लगातार दवाईयों की आवश्यकता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से अपीलांट भी प्रभावित होती है और रेस्पोडेंट संख्या 1 की पत्नी होने की हैसियत से उसके हक व हिस्सा की कृषि भूमि में रहने व उसका उपयोग उपभोग करने का अधिकार अपीलांट को भी है क्योंकि अपीललांट के पास भरण पोषण हेतु अन्य कोई साधन नहीं है। अपीलांट रेस्पोडेंट संख्या 1 को अपने साथ रखने हेतु तत्पर व तैयार है लेकिन वह बार–बार विक्षिप्त मानसिक अवस्था की वजह से घर से निकल जाता है।
5. रेस्पोडेंट संख्या 1 पूर्व में भी अपनी विक्षिप्त मानसिकता की वजह से विवादित कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों को जरिये इकरारनामा, रहननामा अंतरित कर चुका है। तब अपीलांट ने अंतरिती व्यक्तियों को उनके द्वारा लिखे गये रूपये अदा कर भूमि का कब्जा भूमि का कब्जा छुड़वाया है और ऐसे अंतरण दस्तावेज निरस्त करवाये है। भविष्य में भी रेस्पोडेंट संख्या 1 की विक्षिप्त मानसिकता का फायदा उठाकर कोई भी व्यक्ति अंतरण विलेख निष्पादित करवा सकता है जिससे अपीलांट को भी भरण पोषण हेतु दर–दर हेतु भटकने की नौबत आ जायेगी।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.10.2018 में अपीलांट पक्षकार नहीं थी लेकिन निर्णय से अपीलांट के हक व हित प्रभावित हुए हैं क्योंकि यदि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना में विवादित भूमि का कब्जा रेस्पोडेंट संख्या 1 को सुपुर्द कर दिया जाता है तो अपीलांट के रहने का कोई ठिकाना नहीं है व भूखों करने की नौबत आ जायेगी। इसलिए अपीलांट निर्णय दिनांक 11.10.2018 से सीधे रूप से प्रभावित है और प्रभावित पक्षकार की हैसियत से अपील प्रस्तुत करने की अधिकारिणी है। प्रभावित पक्षकार की हैसियत से अपील प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.10.2018 की पालना में अभी तक विवादित भूमि का कब्जा रेस्पोडेंट संख्या 1 को नहीं सौंपा गया है। अपीलांट अपने पुत्रवधुओं, पौत्रों व पौत्रवधुओं व छोटे बच्चों के साथ विवादित कृषि भूमि में बनी ढाणी में निवास कर रही है। दो दिन पूर्व ही रेस्पोडेंट संख्या 1 कुछ व्यक्तियों को साथ लेकर अपीलांट व परिवार के अन्य सदस्यों को कब्जा से बेदखल करने हेतु ढाणी में आ गया और धमकी दी कि मेरे पास तुम्हें ढाणी व खेत से बेदखल करने के आदेश हैं, रेस्पोडेंट संख्या 1 की बात सुनकर अपीलांट हैरान परेशान हो गई और निर्णय के बारे में पता किया और रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 से जो इस समय मजदूरी के लिए सूरतगढ़ में रह रहे हैं, से निर्णय प्राप्त की। प्रति प्राप्त होने पर अपीलांट अपने अधिवक्ता से मिली तब अपीलाधीन निर्णय का अपीलांट को सम्यक रूप से ज्ञान हुआ। इसलिए अपीलांट को हुए सर्वप्रथम सम्यक ज्ञान से अपील अंदर मियाद प्रस्तुत है। फिर भी दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर मातहत न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.10.2018 अपास्त किया जावे

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई है। रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया। अपीलार्थीया एवं रेस्पोडेन्टस स्वयं उपस्थित आये। अपीलार्थीया एवं रेस्पोडेन्टस को सुना गया। अपीलार्थीया ने अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुए कथन किया कि मैं एक 70 वर्षिया वृद्धा औरत हूं। मेरे पति हुकमाराम मुझे 15 वर्ष पहले छोड़कर चला गया था। मुझे मेरे

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

पुत्रों व पोत्रों द्वारा विवादित कृषि भूमि पर मेहनत व मजदूरी कर अपना व परिवार का पालन पोषण किया। मेरे पास विवादित कृषि भूमि के अलावा भरण पोषण हेतु कोई अन्य साधन नहीं है। कृषि भूमि की आय से मेरे पति हुकमाराम का निजि चिकित्सालय में इलाज करवाया। और अभी भी ईलाज चल रहा है। मेरे पति मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के कारण अन्य लोगों के बहकावें में आकर भूमि को अन्तरित करने पर आमदा है। मैं अपने पूरे परिवार के साथ विवादित कृभि भूमि में बनी ढ़ाणी में निवास कर रही हूं। अन्य कोई रिहायस हेतु ठिकाना नहीं है। मैं स्वयं वृद्ध औरत हूं बीमार रहती हूं और दवाइयों की आवश्यकता रहती है। अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश से मैं भी प्रभावित होती हूं। मेरे पति के हक व हिस्सा की कृषि भूमि में मुझे भी रहने व इस भूमि का उपयोग व उपभोग करने का अधिकार है। मैं मेरे पति को अपने साथ रखने को तैयार हूं। वह बार–बार विक्षिप्त मानसिक अवस्था की वजह से घर से बाहर निकल जाता है। मेरे पति विवादित कृषि भूमि को अपनी विक्षिप्त मानसिकता की वजह से अन्य व्यक्तियों को जरिये इकरारनामा, रहननामा अन्तरित कर चुका है। मेने अंतरिती व्यक्यिों को रूपयें अदा कर भूमि का कब्जा छुड़ाया और ऐसे अन्तरण दस्तावेजों को निरस्त करवायें है। भविष्य में भी मेरे पति की विक्षिप्त मानसिकता का फायदा उठाकर कोई भी व्यक्ति अन्तरण विलेख से निष्पादित करवा सकता है जिससे मेरे को भरण–पोषण हेतु दर–दर भटकने की नोबत आ सकती है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 जो मेरे पति है। मेरे पति मानसिक रूप से बीमार होने के कारण इनका इलाज चल रहा है। इनकी मानसिक स्थिति ठिक नहीं है। मानसिक परेशानी की वजह से घर छोड़कर वृद्धाश्रम में रहता है। मैं और मेरे बेटे जो रेस्पोडेन्ट नं. 2 और 3 है मेरे पति को घर लाने के लिए प्रयास किये वह घर आने को तैयार नहीं थे। मेरे पति का मानसिक बीमारी का ईलाज लगातार चल रहा है। मेरे पति की मानसिक हालत का ज्ञान ग्रामीण व्यक्यिों व आस पास के लोगों एवं रिस्तेदारों एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं को है। मेरे पति मानसिक हालात की वजह से अपना व परिवार का भला–बुरा सोचने व समझने में असमर्थ है। मैं अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थी लेकिन मेरे हक व हित प्रभावित हुए है। विवादित भूमि का कब्जा मेरे पति को सुपुर्द कर दिया जाता है तो मेरे और मेरे बच्चों के रहने का कोई ठिकाना नहीं है। भूखा मरने की नोबत आ सकती है। इसलिए प्रभावित पक्षकार की हैसियत से में अपील करने की अधिकारिणी हूं। मेरे पति द्वारा कुछ व्यक्तियों को साथ लेकर जबरण मेरे और मेरे परिवार के अन्य सदस्यों को कब्जे से बेदखल करने की धमकी दी और यह भी कहा कि मेरे पास ढाणी व खेत से बेदखल करने के आदेश है। मेरे पति की बात सुनकर मैं हैरान परेशान हो गई और निर्णय के बारे में पता किया। रेस्पोडेंट नं 2 वे 3 जो मेरे पुत्र है जो मजदूरी के लिए सुरतगढ़ में रहते है उनसे निर्णय की प्रति मंगवाई जब मुझे सम्यक रूप से ज्ञान हुआ जिसके कारण यह अपील अंदर मियाद प्रस्तुत की गई है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट नं0 1 हुकमाराम ने अपने कथन में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि मैं 78 वर्ष का हूं। अपने प्राण बचाकर वृद्धाश्रम हनुमानगढ़ टाउन में रहता हूं। मेरी जमीन ढाणी को गौरां देवी जो मेरी पत्नि है, पवन कुमार व चेतनराम जो मेरे लड़के है तथा लड़कों का ससुर मंगतुराम ने जबरदस्ती हड़प ली है। जिसके कारण मैं वृद्धाश्रम में पराधीन जीवन व्यतीत करने को विवश हूं। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम 2007 में अपील धारा 15 व 16 अन्तर्गत एक अधिकरण पीठासीन अधिकारी(उपखण्ड अधिकारी), के निर्णय से व्यथित कोई वरिष्ठ नागरिक माता–पिता आदेश की तिथि से 60 दिवसों के अन्दर अपील अधिकारी के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है। गौरां देवी अधिकरण से व्यथित नहीं

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

है क्योंकि इसने अधिकरण के समक्ष आवेदन नहीं किया है। गौरां देवी अपने लड़कों तथा अपने लड़कों के ससुर के कहने में चलती है। मेरे कहने में न चलकर मेरी जमीन व ढाणीं में सहचरियों की बदोलत जबरन कब्जा बनाये रखने को यह फर्जी अपील की गई है। गौरां देवी अपने और सहचरियों को लाभ दिलाने के लिए मेरे खिलाफ थाना हनुमानगढ़ में बयान दिये। गौरां देवी अपील की अधिकारीणी नहीं है। वह उपखण्ड अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर 60 दिवसों के अंदर अपने संतान के विरूद्ध अपील कर सकती है। उक्त अवधि के अवसान के बाद पर्याप्त कारण बताना पड़ता है मगर कोई पर्याप्त कारण नहीं होने की वजह से अपील खारिज की जावे। मेरे को डिक्री मिली हुई है। अतिक्रमियों की मिलिभगत से अटकी हुई है। विवादित भूमि में नरमा कपास की फसल मिली भगत से हड़प गये है। अब सरसों गेंहूं की फसल हड़प करने की साजिस में मिथ्या, फर्जी, विधि विरूद्ध अपील दायर की है। मेरे जीवन व सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए अपील निरस्त करके मुझे राहत प्रदान की जावे।

रेस्पोडेन्ट नं0 2 व 3 ने अपने कथनों में बताया कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 हमारे पिताजी है और अपीलार्थीया हमारे माताजी है। हमारे पिताजी मानसिक रूप से बीमार होने के कारण इनका इलाज चल रहा है। इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मानसिक परेशानी की वजह से घर छोड़कर वृद्धाश्रम में रहते है। हम हमारे पिताजी को घर लाने के लिए प्रयास किये वह घर आने को तैयार नहीं होते है। हमारे पिताजी की मानसिक बीमारी का ईलाज निजि चिकित्सालय में लगातार चल रहा है। हमारे पिताजी की मानसिक हालत का ज्ञान गांव के व्यक्तियों व आस पास के पड़ोसी एवं रिस्तेदारों एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं को है। हमारे पिताजी मानसिक हालात के कारण वे अपने परिवार का भला–बुरा सोचने व समझने में असमर्थ है। विवादित भूमि का कब्जा हमारे पिता को दिलाने से हम और हमारे बच्चे और हमारी मां के रहने का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। हम हमारे पिता का भरण–पोषण करने को तैयार है। हम हमारे पिता को हर महीने भरण पोषण के लिए भरण–पोषण राशि देने के लिए तैयार है।

दोनो पक्षकारो के कथनो पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थीया द्वारा यह अपील उपखण्ड मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.10.2018 के विरूद्ध भरण–पोषण के अन्तर्गत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से रेस्पोडेन्ट नं0 1 (प्रार्थी हुकमाराम) द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत भरण पोषण की मांग करने के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 21 के द्वारा चक 23 के.एस.पी खाता संख्या 80/67 की 2.656 हैक्टेयर कृषि भूमि को (अप्रार्थी) रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 से कब्जा लिया जाना पाया है। अपीलार्थीया रेस्पोडेन्ट नं0 2 व 3 जो उसके पुत्र है खेत में बनी ढाणी में इनके साथ रहती है। अपीलार्थीया की उम्र भी 70 साल की है इस उम्र में अपीलार्थीया को भी भरण पोषण की आवश्यकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश से तहसीलदार हनुमानगढ को आदेश दिये गये कि अप्रार्थी (रेस्पोडेन्ट) चेतनराम व पवन कुमार को प्रश्नगत कृषि भूमि से बेदखल कर कब्जा रेस्पोडेन्ट नं0 1 हुकमाराम को सुपुर्द किया जावे। रेस्पोडेन्ट नं0 2 व 3 अपीलार्थीया के बेटे है जो अपने बेटे व बेटो के परिवार के साथ सामुहिक रूप से खेत में बनीं ढाणी में निवास करती है अपीलार्थीया व रेस्पोडेन्ट नं0 2 व 3 का दौराने बहस यह कथन करना कि वे रेस्पोडेन्ट नं0 1 को अपने साथ रखना चाहते है और इनकी सेवा करना चाहते है और इनकी बीमारी का इलाज करवाना चाहते है। धारा 5 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत यदि वरिष्ठ नगारिक का भरण पोषण नहीं करता है तो संबंधित अधिकरण को भरण पोषण हेतु भरण पोषण राशि

जिला कलक्टर एवं हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

निर्धारित करने का प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन से भरण पोषण हेतु राशि निर्धारित न कर प्रश्नगत कृषि भूमि का कब्जा रेस्पोडेंन्ट नं0 1 हुकमाराम को दिलाये जाने के आदेश दिये गये जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होते हैं क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीया जो वरिष्ठ नागरिक है जिसको भी भरण–पोषण की आवश्यकता होती है जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं सुना गया है ऐसी स्थिति में प्रकरण रिमाण्ड योग्य बनता है।

अतः अपील अपीलार्थीया स्वीकार की जाती है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट हनुमानगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.10.2018 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में अपीलार्थीया को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। आदेश की प्रति के साथ अभिलेख उपखण्ड हनुमानगढ को वापिस लौटाया जावे। आदेश की प्रति पक्षकारो, तथा समाज कल्याण अधिकारी हनुमानगढ को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

आदेश आज दिनांक 30.05.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण
हनुमानगढ़

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official